योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

जनभागीदारी योजना

मार्गदर्शिका

(21.3.2007 की स्थिति में)

राज्य योजना मण्डल
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल
अधिसूचना

क्रमांक जी–16/1/2000/सी/चार भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2000

राज्य शासन द्वारा विकास योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :–

1. **नियमों का नाम** :– ये नियम म.प्र. जनभागीदारी नियम 2000 कहलायेंगे ।

2. **प्रारंभ होने का दिनांक** :– ये नियम दिनांक 15.08.2000 से प्रभावशील माने जायेगे।

3. **उद्देश्य** :– इन नियमों का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न विभागों के अंतर्गत विकास योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास संबंधी कार्यो में जनसहयोग का अंशदान प्राप्त हो सके व इन योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके । साथ ही जनता उस सम्पत्ति को अपना मानकर उनका अनुरक्षण/देखरेख के बारे में उत्तरदायी हो सके ।

4. **परिभाषायें** :–

(1) **शासन** :– शासन से आशय म.प्र. शासन से है ।

(2) **निर्माण/विकास कार्य** :– विकास कार्यो से आशय विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही निर्माण/विकास योजनाओं से है ।

(3) **अंशदान** :– अंशदान से आशय किसी भी निर्माण कार्य के प्राक्कलन में वेष्ठित अंश के भाग से है । जिसमें मानव श्रम का अंशदान शामिल है ।

(4) **तकनीकी स्वीकृति** :– तकनीकी स्वीकृति से आशय किसी भी प्राक्कलन में तकनीकी अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर पर प्राक्कलन की स्वीकृति से है ।

(5) **प्रशासकीय स्वीकृति** :– प्रशासकीय स्वीकृति से आशय किसी भी प्राक्कलन में शासन द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से है ।

(6) **कलेक्टर** :– से आशय जिले में पदस्थ कलेक्टर से है ।

(7) **नगरीय निकाय** :– नगरीय निकाय से आशय नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से है ।

(8) **पंचायत** :– पंचायत से आशय जिले/जनपद/ग्राम पंचायत से है ।

5. **योजना का विस्तार** :– जनभागीदारी संबंधी नियम शासन के समस्त विभागों में लागू माने जायेंगे ।

6. राशि का अंशदान, संग्रहण एवं आवंटन की प्रक्रिया :–

ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा जनभागीदारी के अंतर्गत जिस कार्य को किया जाना है उसके औचित्य के साथ सर्वप्रथम संकल्प पारित किया जायेगा । संग्रहित राशि को पृथक से बैंक खाते में रखा जायेगा तथा जिन व्यक्तियों से राशि वसूली जायेगी उन्हें प्रपत्र–1 अनुसार पावती दी जायेगी तथा अपने कार्यालय में अंशदाताओं की पंजी प्रपत्र–2 अनुसार संधारित की जायेगी । योजना की पूर्ण राशि जमा करने पर इसकी सूचना कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को दी जायेगी । जनभागीदारी के अंशदान के रूप में मानव श्रम अथवा ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध संसाधनों (सामग्री दान) की गणना की जा सकेगी, बशर्ते निर्माण कार्य के प्राक्कलन में इसका स्पष्ट उल्लेख हो तथा वह गणना योग्य हो ।

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत राशि जमा होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को शासन का अंशदान रिलीज किया जायेगा, परन्तु अंशदान की सीमा सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी । शासन के अंशदान में सांसद निधि, विधायक निधि, मंत्री स्वेच्छा अनुदान तथा इस उद्देश्य से अलग से प्रावधानित राशि का उपयोग किया जायेगा, परन्तु जनभागीदारी अंशदान में उपर्युक्त निधि शामिल नहीं किये जायेंगे ।

रोगी कल्याण समिति, महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति, वन सुरक्षा समिति, रोडक्रास सोसायटी एवं शाला विकास समिति के पास जनभागीदारी के रूप में प्राप्त राशि को जनभागीदारी का अंश मान्यकर कार्यो के प्रस्ताव नियमानुसार स्वीकृत किये जावेगे ।

अंशदान की स्वीकृति की जानकारी प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार पर प्राथमिकता क्रम में शासन के अंशदान की राशि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को जिलाध्यक्ष द्वारा रिलीज की जावेगी । स्वीकृति का प्रारूप प्रपत्र–3 अनुसार, आदेश जारी किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी भी अपने कार्यालय में ऐसी स्वीकृतियों की पंजी प्रपत्र–4 अनुसार संधारित करेगा ।

7. जनभागीदारी नियमों के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनायें :–

इन नियमों के अंतर्गत मुख्यतः ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं से संबंधित योजनायें ली जायेंगी अथवा ऐसी योजनायें जो ग्रामवासियों के लिये जनोपयोगी हैं । परन्तु धार्मिक स्थलों का निर्माण, चौपाल आदि का निर्माण अथवा व्यक्ति अथवा समूह विशेष के लाभ संबंधी कोई योजना को नहीं लिया जा सकेगा । ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जिनमें गरीब तबके/अनुसूचित जाति/जन जाति समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ हो ।

8. योजना का क्रियान्वयन :–

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय योजना का क्रियान्वयन सक्षम स्तर पर तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करेंगे । यदि योजना समिति का अनुमोदन भी आवश्यक हो तो कलेक्टर के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करेंगे । प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजना का क्रियान्वयन निर्धारित राशि एवं समय–सीमा में पूर्ण हो।

9. पूर्ण योजनाओं का हस्तान्तरण एवं संधारण :–

शासन द्वारा आवश्यक समझने पर जनभागीदारी से बनाई गई योजनाओं का संधारण भी पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा । शासन द्वारा ऐसी योजनाओं के संधारण हेतु किसी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं कराई जावेगी । जनभागीदारी से बनाई गई सम्पत्ति पर राज्य शासन का स्वामित्व होगा तथा ऐसी सम्पत्ति का विक्रय/हस्तांतरण उसी तरह होगा, जैसे कि शासकीय सम्पत्ति का होता है ।

10. योजनाओं का अनुश्रवण :–

किसी योजना के लिये संग्रहित अंशदान तथा उसके आधार पर क्रियान्वित योजनाओं जिनमें चालू एवं पूर्ण योजनायें हों, के कार्यो की प्रगति की समीक्षात्मक जानकारी समय–समय पर संबंधित स्थानीय निकाय/पंचायत अपनी साधारण सभा में वर्ष में कम से कम 2 बार प्रस्तुत करेगी, ताकि निर्माण कार्य में हुई व्यय राशि व संग्रहित अंशदान की जानकारी जन सामान्य को ज्ञात हो सके ।

11. आडिट/लेखा संधारण :–

पंचायतों/नगरीय निकायों द्वारा संग्रहित राशि का ऑडिट और लेखा संधारण शासकीय प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा तथा सक्षम एजेन्सी द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार ही इन लेखों का ऑडिट किया जायेगा ।

12. निर्वचन :–

जहां इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे विनिश्चित करने के लिए शासन के वित्त विभाग को संदर्भित किया जायेगा ।

13. शिथिल करने की शक्तियां :–

जहां शासन का समाधान हो कि इन नियमों के किसी नियम के क्रियान्वयन में किसी विशेष प्रकरण में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न होता है तो ऐसे कारणों से जो लेखा बद्ध किये जावेंगे राज्य शासन आदेश द्वारा न्याय संगत और सम्यक पूर्ण रीति से किसी प्रकरण को निपटाने के लिए उस सीमा तक और उन अपवादों और शर्तो के अद्यधीन्, जैसा भी आवश्यक समझा जाये, इस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त अथवा शिथिल कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(विनोद ढाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रपत्र–1

रसीद बुक	रसीद बुक
(जनभागीदारी नियम 2000 की धारा 6 के अंतर्गत)	(जनभागीदारी नियम 2000 की धारा 6 के अंतर्गत)
बुक क्रमांक..... क्रमांक.....	बुक क्रमांक..... क्रमांक.....
(जनभागीदारी नियम 2000 की धारा 6 के अंतर्गत)	(जनभागीदारी नियम 2000 की धारा 6 के अंतर्गत)
मध्यप्रदेश जनभागीदारी नियम 2000 की धारा 6 ..... के अंतर्गत श्री (नाम)..... पिता का नाम.....पता .... से रूपये .... (शब्दों में .....) सधन्यवाद प्राप्त किये । उक्त राशि निर्माण कार्य/विकास कार्य .... वित्तीय वर्ष .... के क्रियान्वयन के लिए जनभागीदारी के रूप में प्राप्त की जा रही है । दिनांक..... रसीद जमा करने वाले का नाम एवं पता .... स्थान :–	मध्यप्रदेश जनभागीदारी नियम 2000 की धारा 6 ..... के अंतर्गत श्री (नाम)..... पिता का नाम.....पता .... से रूपये .... (शब्दों में ....) सधन्यवाद प्राप्त किये । उक्त राशि निर्माण कार्य/विकास कार्य .... वित्तीय वर्ष .... के क्रियान्वयन के लिए जनभागीदारी के रूप में प्राप्त की जा रही है । दिनांक..... रसीद जमा करने वाले का नाम एवं पता .... स्थान :–

प्रपत्र–2

जनभागीदारी योजना के अंतर्गत
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में संधारित की जाने वाली पंजी

क्र.	योजना का नाम	ग्राम सभा का संकल्प क्रमांक/दिनांक	कुल लागत	ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का हिस्सा	शासन का अंशदान	शासन की राशि प्राप्त होने का दिनांक	योजना पूर्ण होने का माह	रिमार्क	सरपंच / सचिव के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रपत्र – तीन

कार्यालय, कलेक्टर (योजना शाखा) .....

प्रति,

सरपंच / अध्यक्ष,
ग्राम / नगर / स्थानीय निकाय,
विकास खण्ड .....,
जिला – .....,

विषय :– निर्माण कार्य ..... की जनभागीदारी से प्रारभ करने की स्वीकृति ।

आपके प्रस्ताव (पंचायत/नगर निगम का संकल्प) क्रमांक..... के द्वारा आपने..... निर्माण कार्य/विकास योजना लागत रू..... को जनभागीदारी से पूर्ण करने का विकल्प दिया है एवं अपने हिस्से की राशि रू..... (कुल लागत का सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली क्षेत्र में 25 प्रतिशत) जमा करने की सूचना दी है ।

उक्त निर्माण कार्य में मानव श्रम का हिस्सा..... प्रतिशत है, जिसे जनभागीदारी के अंश के रूप में शामिल किया गया है ।

अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को शासन के हिस्से के रूप में रू..... (सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली क्षेत्र में 75 प्रतिशत) का अंशदान स्वीकृत किया जाता है ।

कृपया निर्माण कार्य निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया व तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर पूरा किया जाये तथा कार्य पूर्ण होने की सूचना इस कार्यालय को दी जाये ।

उक्त व्यय विभागीय मांग संख्या ..... शीर्ष ..... (आयोजना) स्कीम..... अन्य प्रभार (जनभागीदारी) से व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

कलेक्टर/जिला योजना अधिकारी

प्रतिलिपि :– संबंधित क्षेत्र के विधायक/जनपद अध्यक्ष, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/विभाग प्रमुख जिससे संबंधित योजना है, की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर/जिला योजना अधिकारी

प्रपत्र–4

जनभागीदारी योजना के अंतर्गत
जिला योजना कार्यालय में संधारित पंजी का प्रारूप

क्र.	ग्राम पंचायत / स्थानीय निकाय का नाम	विकास खण्ड	योजना का नाम	लागत	संकल्प क्रमांक / दिनांक	निकाय / ग्राम पंचायत का हिस्सा	शासन का अंशदान	रिलीज करने का दिनांक	योजना पूर्ण होने की अवधि	रिमार्क	जिला योजना अधिकारी / प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

जनभागीदारी योजना के अंतर्गत
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में संधारित की जाने वाली पंजी

क्र.	योजना का नाम	ग्राम सभा का संकल्प क्रमांक/दिनांक	कुल लागत	ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का हिस्सा	शासन का अंशदान	शासन की राशि प्राप्त होने का दिनांक	योजना पूर्ण होने का माह	रिमार्क	सरपंच / सचिव के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.